

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 20/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजेन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी अडवड तहसील जायल जिला नागौर।		1 मंजु कंवर पुत्री चैनसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूतों का मोहल्ला रोद्वारा सिहोंत बडी जिला सीकर। 2 ग्राम पंचायत अडवड पंचायत समिति मुण्डवा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अडवड तहसील जायल जिला नागौर। 3 ग्राम पंचायत अडवड, पंचायत समिति मुण्डवा जरिये ग्राम सेवक/पदेन सचिव ग्राम पंचायत अडवड तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति-

- 1 श्री रमेश कुमार ढाका, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
- 2 श्री चन्द्रशेखर दन्तुसलिया, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 17.04.2026

1- प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अडवड द्वारा मिसल संख्या 68/87-88 दिनांक 20.06.1987, से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.03.2025 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 12.03.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के आम मुख्यानामा शोभागसिंह की ओर से श्री चन्द्रशेखर दन्तुसलिया, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। निगरानी के विचाराधीन रहते हुए वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2025 अधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत पेश किया, जिसका जवाब वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 18.11.25 को दिया। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 06.11.2025 खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत अडवड के मिसल संख्या 68/87-88 के द्वारा जारी पट्टा की फोटोप्रति, लिखापट्टी दिनांक 06.01.1988 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत अडवड के प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.25 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने मंजु कंवर के आधार कार्ड की फोटोप्रति, पॉवर ऑफ अटोर्नी की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत अडवड के संयुक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 25.10.24 की फोटोप्रति, लिखापट्टी दिनांक 21.06.90 की फोटोप्रति, सूचना चाहने के लिये प्रस्तुत आवेदन की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत अडवड के पत्र दिनांक 19.09.25 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र दिनांक 23.06.2025 के द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड उपलब्ध होना नहीं बताया है।

2- बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि -

2(1)- ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 68/87-88 दिनांक 20.06.1987 न्याय, नियम व कानून के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(2)- अप्रार्थी मंजुकंवर ने जो कथित पट्टा बताया है वह सरासर फर्जी, कूटरचित व षडयंत्रपूर्वक ढंग से प्रार्थी को उसकी जायगा से बेदखल करने की नियत से स्वयं ने ही फर्जी तैयार किया है। उपरोक्त मिसल संख्या से सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त पट्टा सुद जायगा प्रार्थी की बंट में दे दी तथा उसके पश्चात उक्त जायगा पर हमेशा प्रार्थी का ही कब्जा रहा है। क्योंकि प्रार्थी के पिता चैनसिंह ने जब उक्त आबादी की जायगा मय मकान व बाडी प्रार्थी को बंटवाडे के वक्त दे दी थी। ऐसी स्थिति में पुनः चैनसिंह जी सरपंच थे उनके द्वारा अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से मिसल संख्या के जरिये पट्टे की कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की वर्षों पूर्व शादी हो चुकी है जिसके पश्चात वह अपने ससुराल में निवास करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने फर्जी तरीके से प्रार्थी की भूमि को हडप करने के लिए षडयंत्र करके कथित पट्टा बनाया है जो शुरू से ही अवैध व शून्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

2(3)- ग्राम पंचायत द्वारा कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है न ही ऐसा कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में मौजूद है ऐसा होता तो कथित पट्टे पर पट्टा संख्या का भी उल्लेख होता, किन्तु शोभागसिंह के साथ में प्रार्थी से नाराजगी रखने वाली बहनों के नाम से भी कथित पट्टे बनाये गये हैं जिसमें किसी का भी पडौस मिलान नहीं होता है तथा न ही किसी भी पट्टे पर पट्टे संख्या का उल्लेख किया गया है तथा न ही ग्राम पंचायत को अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से कथित पट्टा जारी करने का कोई कानूनी अधिकार था। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानीकर्ता की बंट व स्वामित्व की जायगा के संबंध में कथित पट्टा सरासर गलत, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जारी किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2(4)- निगरानीकर्ता प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से कथित फर्जी पट्टा व उसकी मिसल की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी मगर ग्राम पंचायत ने उपलब्ध नहीं करवाई तथा कहा कि उक्त कथित पट्टे की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में नहीं है। इस प्रकार मंजु कंवर के नाम से कथित फर्जी पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई मौका जांच नहीं की और न ही सार्वजनिक आपत्तियां ली गई, न नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चरपा किया गया न वार्ड पंचों की टीम से मौका जांच करवाई गई थी, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही बाले-बाले गैर कानूनी पट्टा जारी होने से खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि उक्त जायगा जो चैनसिंह स्वयं की भी उन्होंने पारिवारिक बंट में प्रार्थी को दे दी गई। इस कारण जो कथित फर्जी पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी किया गया है। वह निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)- राज.पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत मालिकाना हक व पुराना कब्जा होने पर ही विक्रय विलेख जारी किया जा सकता है। मगर उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का न तो कभी कब्जा रहा न मालिकाना हक, इसलिय पट्टा जैर निगरानी अवैध व शून्य है।

2(6)- पट्टा जैर निगरानी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि, राज. पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 258 से 266 तक की पालना नहीं की गई सारी कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 ने छिपे तौर से करके एक कुटरचित दस्तावेज तैयार किया है। जिसका न तो कोई विधिक आधार है न कोई अस्तित्व है। इसलिए भी पट्टा जैर निगरानी निरस्त किया जाना उचित है।

2(7)- उक्त कुटरचित पट्टे पर न तो नक्शा नवीश के हस्ताक्षर है और न ही सचिव के हस्ताक्षर है। इससे भी उक्त पट्टा कुटरचित होना साबित होता है तथा न ही कोई सरपंच अपनी संतानों के नाम से पट्टा जारी कर सकता है। इसलिए भी उक्त पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

2(8)- अप्रार्थी संख्या 01 ने यह जानते हुए कि कथित पट्टा जो उसके द्वारा फर्जी तैयार किया गया है उस जायगा/मकान को बंट में प्रार्थी को दिया हुआ है, मौके पर निगरानीकर्ता का मकान बना हुआ है जिस पर निगरानीकर्ता काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है इसके बावजूद उसी जगह का फर्जी पट्टा ग्राम पंचायत के सरपंच वगैरह से मिलावट करके, अपराधिक षडयंत्र करके या उनको अंधेरे में रख कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बाले बाले अपने नाम से बनाया है जो अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(9)- जिस जायगा/मकान का पट्टा अपार्थी संख्या 01 ने अपराधिक षडयंत्र के तहत है उस जगह पर अपार्थी संख्या 01 का कभी कोई कब्जा, उपयोग, उपभोग निवास नहीं रहा है न उस जगह का अपार्थी संख्या 01 काबिज मालिक रहा है इसके बावजूद मिथ्या घोषणा करके कुटरचित मूल्यवान प्रतिभूति कथित फर्जी पट्टा की रचना की है जिनके विरुद्ध पुलिस विभाग में अलग से कार्यवाही निगरानीकर्ता की ओर से की जायेगी।

2(10)- निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत से कथित फर्जी पट्टा व उसकी मिसल की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी मगर ग्राम पंचायत ने उपलब्ध नहीं करवाई है ग्राम पंचायत ने कथित पश्चातवर्ती फर्जी पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई मौका जांच नहीं की गयी, न ही सार्वजनिक आपत्ति आमन्त्रित की गयी, न नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चरपा किया गया न वार्ड पंचों की टीम से मौका जांच करवाई गयी और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही बाले बाल गैर कानूनी पट्टा जारी किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(11)- कथित फर्जी पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के किसी भी नियम की कोई पालना नहीं की गयी है व सभी नियम कायदों को ताक पर रख कर फर्जी पट्टा जारी बनाया गया, तथा उक्त पट्टा पर पैरा संख्या भी दर्ज नहीं है जिसमें ही यह फर्जी होना साबित है व अप्रार्थी संख्या 01 व दीगर सहयोगियों जबरन कब्जा करने व पट्टा का दुरुपयोग करने पर आमदा है इसलिए कथित पट्टा को खारिज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है तथा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2014(4) पेज 01 से 03 तथा आरएलडब्ल्यू 2015(2) पेज 01 से 03 नजीरे पेश की।

17/4/24
अपर क्लर्क, काँवर

3- एकौल अप्पणी संख्या 01 ने अपनी तरह ग बताया कि निगरानीकर्ता ने उक्त निगरानी प्रिया, बेवुनियाद व कारत्मानिक तथ्यो के आधार पर पेश की है जो प्रथम दृष्टया ही खोला किये जाने योग्य है क्योंकि इसगत जायगा पर कभी भी प्रार्थी का कोई कल्ला, हक अधिकार स्थापित नहीं रहा है बल्कि उक्त जायगा गोरव ने अप्पणी संख्या 1 के कल्ला, बंट व हक अधिकार की जायगा मग मकान आबादी भूमि अडवड में रही है। मौके पर प्राणी का कभी कोई कल्ला नहीं रहा है ना आज दिन है। पिछल 50 वर्षों से अप्पणी संख्या 1 का कल्ला रहता आया है।

प्राणी ने निगरानी मे यह भी गलत तथ्य दर्ज किये है कि प्राणी/निगरानीकर्ता का कल्ला व अधिकार है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि उक्त पट्टा जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है उस पर कल्ला अप्पणी संख्या 1 का है। अप्पणी संख्या 01 व उसकी दीगर बहिने मैनाकंवर, किशनकंवर, जानकंवर, ने अपनी पट्टासुद कल्लासुद जायगा की पॉवर ऑफ एटॉर्नी शोभागसिंह को दिख कर निगरानी करन के लिए कल्ला शोभागसिंह को सुपुर्द किया है।

उक्त भूमि से प्राणी का कोई सरोकार नहीं है। यह गलत है कि उक्त आबादी भूमि मग मकान प्राणी को पारिवारिक बंटवाडा में प्राप्त हुई हो जो प्राणी के पिता चैनसिंह ने बंट किया था, जिनहोंने अनन जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति का बंटवाडा दिनांक 6.1.1988 को किया था व पुत्रियों का कोई हिस्सा नहीं रखा हो। जबकि वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थी ने दिनांक 20.6.1999 को प्राणी/निगरानीकर्ता पूर्व की दिनांक 6.1.1988 की लिखापट्टी को निरस्त करते हुए एक नई लिखापट्टी अप्पणी संख्या 01 क भाई शोभागसिंह के पक्ष में निष्पादित करवाई व लिखापट्टी में प्राणी ने स्वीकार किया कि ग्राम अडवड की बाड़ी की जमीन व मकान शोभागसिंह के रहेंगे और भी कई शर्तें डाली थीं व अडवड की आबादी की बाड़ी में अपना कोई हिस्सा नहीं रखा था, यह लिखापट्टी प्राणी व अप्पणी संख्या 1 के मामा रघुवीरसिंह ने की थी, प्राणी के कहने से ही की थी जिस पर अप्पणी संख्या 1 व प्राणी, बहिन मैनाकंवर व पिता चैनसिंह, मनोहरसिंह छावटा व प्राणी व अप्पणी संख्या 1 की मौसी लाडकंवर के हस्ताक्षर है तथा नोटरी पब्लिक जयपुर द्वारा उक्त लिखापट्टी तरकीक हुआ है, जिससे प्राणी पाबंद था व है। अप्पणी संख्या 1 ने कोई फर्जी पट्टा नहीं बनाया है। चैनसिंह ने अप्पणी संख्या 1 के नाम से कल्ला के आधार पर ही पट्टा जारी करवाया था। सरपंच चैनसिंह जो कि पक्षकार के पिता थे उन्होने व ग्राम पंचायत ने विधिवत जांच करके नियमानुसार प्राकिया अपनाते हुए कल्ला अप्पणी संख्या 1 का मानते हुए पट्टा जारी किया था। यहां यह लिखना आवश्यक है कि ग्राम पंचायत अडवड में पट्टा का रिकॉर्ड सन 1987 से सन 1991 का नहीं है जो सूचना के अधिकार से नकल मगने पर हमें जानकारी हुई है। इसीलिए हमारे पट्टों का रिकॉर्ड पंचायत नहीं मिला क्योंकि पांच साल के सम्पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा का कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा ग्राम पंचायत स्वयं द्वारा निखित में दिया हुआ है। पट्टे वाली जगह पर प्राणी का कल्ला ही नहीं है तो अप्पणी द्वारा जबरन कल्ला करने का कथन हस्त्यास्पद व गलत है प्राणी ने सारे बनावटी व झुठे तथ्य दर्ज कर निगरानी पेश की है। अप्पणी संख्या 1 व उसकी बहिनों के नाम से ही ग्राम पंचायत अडवड द्वारा पट्टे जारी किये हुए है। यह गलत है कि अप्पणी का पट्टा फर्जी हो। अप्पणी संख्या 1 व उसकी बहिने ससुराल मे रहने व शोभागसिंह अधिकतर जयपुर में रहने का नाजायज फायदा उठाकर उसकी अनुपस्थिति में भिष्या घोषणा के आधार पर बाले बाले कथित नुमाइशी पट्टा बनवाया है।

प्राणी का यह कथन भी गलत है कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 68/87-88 पट्टा संख्या दिनांक 20.06.1987 न्याय नियम के तहत के विपरीत हो। बल्कि ग्राम पंचायत अडवड द्वारा अप्पणी के कल्ला की विधिवत जांच करके ही पट्टा जारी किया था। यह गलत है कि अप्पणी ने जो कथित पट्टा बताया वह सरासर फर्जी, कूटस्थित व षडयंत्रपूर्वक ढंग से प्राणी ने उसकी जायगा से बेरखल करने की नियत से स्वयं ने फर्जी तैयार किया हो, बल्कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत अडवड द्वारा कब्जे की जांच करके ही अप्पणी संख्या 1 के नाम से जारी किया गया था। मिसल संख्या का अंकन करके ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था। उक्त जायगा पर प्राणी का कोई कल्ला नहीं था न है। इस जायगा पर अप्पणी संख्या 1 का

17/1/14
 सरपंच चैनसिंह, प्राणी

ही लगातार कब्जा था व आज दिन जरिये मुस्लिमों के कब्जा है। बटवाड़े में चैनसिंह ने आबादी की जायगा मय मकान अप्रार्थी संख्या 1 को बंट में दिये थे। चैनसिंह सरपंच थे तो उन्होंने कब्जे की जांच करवा कर अप्रार्थी के नाम से पट्टा जारी किया था। यह गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने फर्जी तरीके से प्रार्थी की भूमि को हड़प करने के लिए षडयंत्र करके कथित पट्टा बनाया हो। जबकि वास्तविकता तो यह है कि पट्टा चैनसिंह सरपंच ग्राम पंचायत अडवड़ द्वारा वार्ड पंचो आदि से जांच करवा कर विधिवत जारी किया था। यह गलत है कि ग्राम पंचायत अडवड़ द्वारा कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कोई पट्टा जारी नहीं किया गया हो, बल्कि ग्राम पंचायत अडवड़ ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या 01, उसकी बहिने व शोभागसिंह ने प्रार्थी से नाराजगी रखने वाली बहिनों के नाम से भी कथित पट्टे बनाये हो। बल्कि ग्राम पंचायत अडवड़ के सरपंच द्वारा ही विधिवत बाद जांच पट्टे जारी किये गये हैं, और पट्टों में प्लोस आदि का मिलान हो रहा है। यह गलत है कि ग्राम पंचायत को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कथित पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं हो। ग्राम पंचायत गांव के किसी भी व्यक्ति के नाम से उसके कब्जा आदि की जांच करवा कर पट्टा जारी कर सकते हैं ग्राम पंचायत अडवड़ ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया था जो कतई निरस्त होने योग्य नहीं है।

यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व मिसल की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाने से कोई पट्टा फर्जी नहीं हो जाता है, पांच साल का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत अडवड़ के पास नहीं है यह नहीं माना जा सकता है कि पांच साल में कोई भी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया हो जबकि इस दौरान कई लोगो के नाम से पट्टे जारी किये हुये हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया गया था उस समय मौका की जांच की गयी, सार्वजनिक आपत्तियां ली गयी व नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया गया व वार्ड पंचो की टीम से मौका निरीक्षण करवाया गया और सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया गया था जो किसी भी सुरत में खारिज किये जाने योग्य नहीं है। उक्त जायगा के संबंध में विधिवत पट्टा जारी किया गया था।

यह गलत है कि राजस्थान पंचायत के सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत मालिकाना हक व पुराना कब्जा होने पर विक्रय विलेख जारी किया जा सकता है। बल्कि ग्राम पंचायत कब्जे के आधार पर जांच करवा कर पट्टा जारी करती है। उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का ही लगातार कब्जा व मालिकाना हक रहा है।

उक्त पट्टा जारी करते वक्त राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 258 से 266 तक के प्रावधानों की पूर्ण पालना की गयी थी और सारी विधिक प्रक्रिया अपना कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया गया था जो कूटरचित दस्तावेज नहीं है। नक्शा नवीश के हस्ताक्षर नहीं होने मात्र से पट्टा कूटरचित नहीं हो सकता है सरपंच ग्राम पंचायत अडवड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से पट्टा जारी किया गया है।

यह गलत है कि कथित पट्टा फर्जी तैयार किया गया हो। उक्त जायगा/मकान पर प्रार्थी का बंट नहीं था। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का ही कब्जा रहा है, जिसमें अप्रार्थी काबिज रह कर उपभोग करता आ रहा है और विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है। कालान्तर में प्रार्थी द्वारा बिना कब्जा ही ग्राम पंचायत से मिलावट करके फर्जी तौर पर पश्चातवर्ती पट्टा बना कर पंजीयन करवाया है जो पट्टा अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त जायगा पर अप्रार्थी संख्या 1 का ही कब्जा है अप्रार्थी संख्या 1 का फर्जी पट्टा होता तो प्रार्थी पुलिस थाने में कार्यवाही अवश्य करता मगर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यहां यह लिखना आवश्यक होगा कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के नाम से विधिक प्रक्रिया अपना कर पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी की नियत में खोट आ गई तथा शोभागसिंह की सम्पत्ति के पट्टा के बाद पश्चातवर्ती पट्टा अपनी पत्नी के नाम बनाकर बाले बाले पंजीयन करवा दिया व शोभागसिंह के विरुद्ध भी निगरानी अलग से पेश कर दी व बहिनों को नाजायज परेशान करने के लिये उनके नाम जारी पट्टा को भी गलत रूप से चुनौती दी है। किसी दस्तावेजों को बिना आधार के फर्जी नहीं बनाया जा सकता, जबकि प्रार्थी ने बार बार फर्जी पट्टे का निगरानी में अंकन किया है। निगरानीकर्ता ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा उक्त निगरानी मियाद बाहर होने से भी खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी ही निगरानी प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 के भाई शोभागसिंह के विरुद्ध पेश की है व शोभागसिंह के बंट कब्जा की जायगा के संबंध में पश्चातवर्ती पट्टा जो प्रार्थी ने अपनी पत्नी कमल कंवर के नाम जारी करवाया है, उसको आधार बनाकर शोभागसिंह के विरुद्ध की गई निगरानी के हुबहु तथ्य अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध की गई निगरानी में दर्ज किये हैं, जबकि उनका इस अप्रार्थी संख्या 01 की पट्टासुद जायगा से कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद साईक्लोस्टाइल में निगरानीयां पेश है, इसके अलावा उक्त निगरानी मियाद बाहर होने से भी खारिज किये जाने योग्य है।

17/4/24
अपर कमिश्नर, जयपुर

4- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। यहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अडवड द्वारा ग्राम पंचायत अडवड द्वारा मिसल संख्या 68/87-88 दिनांक 20.06.1987, को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत अडवड से मूल रेकॉर्ड तलब किया गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 23.06.2025 के द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित किसी प्रकार का रेकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया। रेकॉर्ड के अभाव में नहीं माना जा सकता कि ग्राम पंचायत ने मिसल खोलकर पट्टाधारी से आवेदन प्राप्त कर विधिनुरसार आपतियां आमंत्रित कर गौका हेतु पंच कमेटी नियुक्त कर विधिक प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया हो। क्योंकि मूल पट्टा व पट्टे से संबंधित मिसल ही ग्राम पंचायत के रेकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कोरम के साथ कोई प्रस्ताव लिया गया हो ऐसा भी रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम 1961 के नियमों की पूर्णतः पालना की हो, ऐसी स्थिति में पट्टे की वैधता पर संशय होता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत अडवड द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जारी मिसल संख्या 68/87-88 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

6- निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर